UPKU010008502026

<u>**न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।**</u>

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०**–Id. No. UP2018

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 433/2026

प्रिन्स गुप्ता बउम्र 23 वर्ष पुत्र हरिमोहन गुप्ता, सा०– गड़हिया, थाना– तुर्कपट्टी, जिला– कुशीनगर।

––– प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी

तथा

UPKU010015552026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 525/2026

राजगुरू उर्फ कलाकंदी बउम्र 18 वर्ष पुत्र चन्द्रमोहन आजाद, सा०– सोहंग महुअवां खुर्द, थाना– तुर्कपट्टी, जिला– कुशीनगर।

––– प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी

मु०अ०सं०– 282/2025
धारा–305,331(4),317(2),313,
318(4) बी०एन०एस०
थाना– तुर्कपट्टी,
जिला– कुशीनगर।

<u>**निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र**</u>

1–वर्तमान दोनो जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रिन्स गुप्ता व राजगुरू उर्फ कलाकंद की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। चूँकि दोनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध

संख्या, घटना, थाना व धारा से संबंधित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से दोनो जमानत प्रार्थना पत्रों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01–10–2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती लालमती देवी द्वारा थाना तुर्कपट्टी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रोज की तरह वह दिनांक 30–09–2025 को भी वह भोजन बनाने व खाने के लिए शाम को लगभग 6 बजे घर से कुछ दूर स्थित घोठे पर चली गई थी तथा खाना खाने के बाद रात में घर आई तथा बाहर की चारपाई पर सो गई। सुबह 6 बजे जब वह झाडू पोंछा करने घर के अन्दर गई तो देखी कि घर का सामान बिखरा पड़ा है तथा घर के अन्दर रखे बक्से का ताला भी टूटा हुआ था। जब उसने चेक किया तो पाया कि बक्से में रखा हुआ गहना सोने का नाक का नथिया, एक नथुनी, खील, झुलनी, गले का चैन, मांग टीका, कान का झुमका, बाली, अंगूठी, चांदी का पायल दो जोड़ी तथा नकद 50,000/– रूपया गायब है जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का कोई सामान बरामद नही हुआ है। फर्जी बरामदगी दिखाकर अभियुक्तगण का चालान किया गया है। समता का मामला है। सह अभियुक्त फैजान अंसारी की जमानत अवर न्यायालय से तथा सह अभियुक्त नितेश गोड़ की जमानत दिनांक 17–02–2026 को इस न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 12–01–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। तदनुसार जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में का गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर में चोरी की गई। अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता के कब्जे से सात हजार रूपए व एक अदद मोबइल तथा अभियुक्त राजगुरू उर्फ कलाकन्दी के कब्जे से चार हजार रूपये व एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है तथा अभियुक्तगण व सह अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से बरामद बैग से एक अदद गले का हार वजन 102 ग्राम, दो अदद बच्चों वाला कंगन वजन 8 ग्राम, एक अदद सफेद धातु का सीकर वजन करीब 76 ग्राम, चार चोरी सफेद धातु का पायल वजन करीब 135 ग्राम, ग्यारह जोड़ी बिछिया वजन करीब 50 ग्राम, एक सफेद धातु का ब्रेसलेट वजन करीब 20 ग्राम, एक सफेद धातु का लाकेट वजन करीब 6 ग्राम, कुल वजन 397 ग्राम तथा एक अदद पीली धातु का कान का झुमका वजन करीब 5.64 ग्राम, एक अदद पीली धातु का मांग का टीका वजन करीब 4.55 ग्राम व एक अदद पीली धातु का नाम का कील वजन करीब 0.17 ग्राम कुल वजन करीब 10 ग्राम बरामद हुआ। तदनुसार जमानत प्रार्थना खारिज करने की याचना की गयी।

5–मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया तथा उक्त विधि व्यवस्थाओ का ससम्मान परिशीलन किया।

6–केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नहीं हैं। दौरान विवेचना उनका नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त प्रिन्स गुप्ता के कब्जे से सात हजार रूपए व एक अदद मोबइल तथा अभियुक्त राजगुरू उर्फ कलाकन्दी के कब्जे से चार हजार रूपये व एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है तथा अभियुक्तगण व सह अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से बरामद बैग से एक अदद गले का हार वजन 102 ग्राम, दो अदद बच्चों वाला कंगन वजन 8 ग्राम, एक अदद सफेद धातु का सीकर वजन करीब 76 ग्राम, चार चोरी सफेद धातु का पायल वजन करीब 135 ग्राम, ग्यारह जोड़ी बिछिया वजन करीब 50 ग्राम, एक सफेद धातु का ब्रेसलेट वजन करीब 20 ग्राम, एक सफेद धातु का लाकेट वजन करीब 6 ग्राम, कुल वजन 397 ग्राम तथा एक अदद पीली धातु का कान का झुमका वजन करीब 5.64 ग्राम, एक अदद पीली धातु का मांग का टीका वजन करीब 4.55 ग्राम व एक अदद पीली धातु का नाम का कील वजन करीब 0.17 ग्राम कुल वजन करीब 10 ग्राम बरामद हुआ। समता का मामला है। सह अभियुक्त नीतेश गोड़ की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 17–02–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 12–01–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उक्त दिये गये कारणों के आधार पर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रिन्स गुप्ता व राजगुरू उर्फ कलाकंदी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी मुचलका सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाय–

1– अभियुक्तगण आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेगें।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिग्य किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्तगण न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगें।

आदेश की एक प्रमाणित प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं०–525/2016 राजगुरू उर्फ कलाकंदी की पत्रावली में रखी जाय।

दिनांकः **18.03.2026**
R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

B.A.No. 436 of 2026
Prince Gupta Vs. State of U.P.
& B.A. No. 525 of 2026
Rajguru alias Kalakandi Vs. State of U.P.

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.03.18 15:26:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court